अध्याय

67

सूचना का अधिकार

(Right to Information)

1. सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार—

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(a)(क) के अधीन प्रत्येक नागरिक को वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (Freedom of Expression) प्रदान किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि इसे विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना गया है।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, जब जनता शासन तन्त्र को निर्वाचन के माध्यम से स्थापित करती है, तब उसका यह एक मौलिक अधिकार बनता है कि वह उस शासन तंत्र, जिसे उसने स्थापित किया है, कि गति विधियों के विषय में सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर सके एवं इसी अवधारणा पर सूचना के अधिकार की उत्पत्ति होती है। पारदर्शी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार के रुप में स्थापित हुआ है।

प्रभु दत्त बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर 1982 एस.सी. 6), पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1942) में उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के अनुच्छेद 19(a)(क) के प्रावधानों के अधीन एक मौलिक अधिकार माना है।

शासन, प्रशासन एवं सार्वजनिक उपक्रमों में पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने तथा उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 (a)(क) का विश्लेषण कर सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माने जाने के फलस्वरूप, भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया, जिसे उसी वर्ष लागू किया गया।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य उपबंध—

(1) सूचना के अधिकार में शामिल सामग्री—

(i) किसी इलेक्ट्रानिक रुप में धारित दस्तावेज, (ii) दस्तावेज, (iii) ज्ञापन, (iv) ई-मेल, (v) मत, (vi) सलाह, (vii) प्रेस विज्ञाप्ति, (viii) परिपत्र, (ix) आदेश, (x) लाग बुक, (xi) संविदा, (xii) रिर्पोट, (xiii) कागज-पत्र, (xiv) नमूना, (xv) मॉडल, (xvi) आकड़ों संबंधित सामग्री, (xvii) किसी प्राईवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना जिस तक किसी लोक अधिकारी की पहुँच हो सकती है। [धारा 2]

Scanned with CamScanner

टिप्पणी— 1. ब्लैक लॉ शब्दकोष के अनुसार, किसी अभ्यारोपण के बिना, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कृत्य का दोषारोपण करना, सूचना है।

2. अजय नाथ गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (ए.आई.आर. 2017 छत्तीसगढ़ 45) के अनुसार जहाँ संविधि की भाषा स्पष्ट एवं असंदिग्ध है, वहाँ उसकी शाब्दिक व्याख्या ही की जानी चाहिए।

3. सूचना का अधिकार—

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधो के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

[धारा 3]

टिप्पणी—1. कवल सिंह गौतम विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (ए.आई.आर. 2011 छत्तीसगढ़ 143) के न्यायालयीन प्रकरण में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि सूचना के अधिकार का अर्थ व्यापक है। इसमें केवल उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण ही नहीं, बल्कि उनकी प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार है।

टिप्पणी—2. खानपूरम गन्दिया बनाम प्रशासनिक अधिकारी (ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 615) प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि न्यायाधीश से यह सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती कि वह किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर किन आधारों पर और क्यों पहुँचा है। यह न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 में संरक्षित है।

4. सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध—

(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तब वह लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या क्षेत्रीय भाषा में, उस निहित फीस के साथ, जैसा निर्धारित किया गया हो,—

(क) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी,

(ख) केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

को, मांगी गई सूचना की विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट करते हुए, अनुरोध करेगा।

परन्तु जहाँ लिखित में अनुरोध संभव न हो, सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी सहायता मौखिक रुप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

[धारा 6.1]

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदन से, उसके इस अनुरोध के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे सम्पर्क करने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जावेगी।

[धारा 6.2]

Scanned with CamScanner

(3) जहाँ किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारों से किया जाता है।

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित की गई हो, या

(ii) जिसका विषय वस्तु, अन्य लोक प्रधिकारी के कृत्यों से निकट रुप से संबंधित हो,

वहाँ, वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे मांग को, जो समुचित हो, उस अन्य प्राधिकारी को अन्तरित करेगा और ऐसे अन्तरण की सूचना आवेदक को तुरन्त देगा।

परन्तु, ऐसे किसी आवेदन का अन्तरण यथा साध्य शीघ्रता से किया जावेगा जो आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 5 दिन से अधिक होगा। [धारा 6.3]

टिप्पणी—(1) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है, कि सूचना प्राप्त करने वाले आवेदक से यह पूछा जाना आवश्यक नहीं है कि उसे सूचना प्राप्त करने का विधिक अधिकार है अथवा नहीं और यह सूचना क्यों माँगी जा रही है ? यह अधिकार उसे अधिनियम के उपबन्धों में ही प्राप्त है। [अरुणलूथरा विरूद्ध राज्य सूचना आयोग छत्तीसगढ़, ए.आई.आर. 2011 छत्तीसगढ़ 128]

टिप्पणी—(2) पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि सूचना प्राप्त करने वाले आवेदक से सूचना चाहने के कारणों को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। [सैय्यद हुसैन अब्बास रिजवी विरुद्ध राज्य सूचना आयोग बिहार पटना, ए.आई.आर. 2011 पटना 103]

टिप्पणी—(3) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लोक अभिलेखों की प्रमाणित प्रति चाही जा रही है, उसका स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र पर होना चाहिए अन्यथा आवेदन को निरस्त किया जाना चाहिए। [राम विशाल वि. द्वारका प्रसाद जायसवाल, ए.आई.आर. 2006 मध्यप्रदेश 68]

टिप्पणी—(4) झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णीत किया गया है कि किसी व्यक्ति के सरकारी सेना में नियोजन एवं उसके शैक्षणिक योग्यता के विषय में चाही गई जानकारी को (व्यक्तिगत सूचना) नहीं माना जाना चाहिए। [गीता कुमारी वि. झारखण्ड राज्य, ए.आई.आर. झारखण्ड 109]

टिप्पणी—(5) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि ऐसे प्राधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, जिसके पास वांछित सूचना नहीं है तब उस आवेदन पत्र को वापस न लौटते हुए सम्बंधित अधिकारी के पास भेजना चाहिए। [शेखर पी. श्रीवास्तव वि. राज्य सूचना आयुक्त, ए.आई.आर. 2016

Scanned with CamScanner

हिमांचल प्रदेश 127]

5. सूचना अनुरोधों का निपटारा—

(1) धारा 6 के अधीन प्राप्त सूचना आवेदकों को लोक प्राधिकारी यथासंभव शीघ्रता से एवं अधिकतम आवेदन प्राप्ति के तीस दिवस के अन्दर, निर्धारित फीस वसूलते हुए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या फिर धारा 8 एवं 9 में निर्दिष्ट कारणों का उल्लेख कर अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहाँ माँगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जावेगी।

[धारा 7.1]

(2) यदि लोक प्राधिकारी निर्धारित अवधि में आवेदन पर विनिश्यन करने पर असफल रहता है, तब यह माना जावेगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

[धारा 7.2]

(3) जहाँ अनुरोध के आधार पर सूचना प्रदाय करने हेतु कोई फीस के संदाय को निर्धारित किया गया है वहाँ लोक सूचना अधिकारी, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को—

(i) ऐसे फीस की रकम की गणना कर संसूचित करेगा। उक्त सूचना के प्रेषण एवं फीस के संदाय के बीच की अवधि को, सूचना प्रदान करने हेतु निर्धारित तीस दिन में से, अपवर्जित किया जावेगा।

(ii) प्रभारित फीस की राशि या उपलब्ध कराई गई पहुँच के प्ररुप, जिसके अन्तर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियाँ, समय-सीमा, प्रक्रिया अन्य कोई प्ररुप है, विनिश्चय के पुनर्विलोकन के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा।

[धारा 7.3]

(4) जहाँ कोई अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुँच अपेक्षित हो और ऐसा व्यक्ति, जिसे पहुँच उपलब्ध कराई जाती है, संवेदनात्मक रुप से निःशक्त है वहाँ, यथा स्थिति लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुँच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा।

[धारा 7.4]

(5) जहाँ, सूचना तक पहुँच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रानिक प्ररुप में उपलब्ध कराई जाती है, वहाँ आवेदक द्वारा ऐसी फीस का संदाय किया जावेगा, जैसा निहित हो:

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे वाले आवेदक पर कोई फीस उस रीति से भारित नहीं की जावेगी जैसा सरकार द्वारा अवधारित किया गया हो।

[धारा 7.5]

(6) जहाँ कोई लोक प्रभारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफलता रहता है, वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जावेगी। [धारा 7.6]

(7) धारा 7.1 के अधीन को विनिश्चय करने से पूर्व, कोई लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन किसी तीसरे पक्ष के द्वारा किए गए आवेदन को ध्यान में रखेगा। [धारा 7.7]

(8) जहाँ, धारा 7.2 के अधीन आवेदन को अस्वीकृत किया गया, समझा गया हो, वहाँ लोक सूचना अधिकारी व्यक्ति को निम्न तथा संसूचित करेगा—

(i) ऐसी अस्वीकृति के कारण,

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर इस अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की जा सकेगी।

(iii) अपीलीय प्राधिकारी की विशिष्टियाँ। [धारा 7.8]

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररुप में उपलब्ध कराया जावेगा, जिसमें उसे माँगा गया है बशर्ते कि यह लोक प्राधिकारी के संशोधनों को अनुपाती रुप से विचलित न करता हो या प्राप्त अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। [धारा 7.9]

टिप्पणी—पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है, कि धारा 7 के अधीन सूचना न दिए जाने पर शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश सुस्पष्ट एवं कारण युक्त होना चाहिए एवं उसमें निम्न बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए—

(i) क्या सूचना देने से इंकार किया गया।

(ii) क्या ऐसी इंक्वारी दुर्भावनापूर्ण रही।

(iii) क्या सूचना निर्धारित पूर्ण थी समय में नहीं दी गई। [अरविंद प्रसाद सिंह वि. बिहार राज्य ए.आई.आर. 2010 पटना 15]

6. निषिद्ध अभिलेख—

कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है। वह संक्षेप में इस प्रकार हैं:—

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध से विपरीत प्रभाव पड़ता हो या फिर अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना

Scanned with CamScanner

होती है;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के उजागर करने से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है;

(ङ) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(च) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रीड़ा में अड़चन पड़ेगी;

(छ) मंत्रिमंडल के कागजात, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं: परन्तु मंत्रीपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, विनिश्चय किये जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराये जाएंगे।

(ज) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है,

इत्यादि, इत्यादि।

[अधिनियम की धारा 8]

टिप्पणी—(1) संन्निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी छूट में सम्मिलित नहीं है। [दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. वि. सुधीर बोर, उच्च न्यायालय दिल्ली, ए.आई.आर. 2011 दिल्ली 107]

(2) पत्नी के वेतन को जानने का पूर्ण अधिकार पति को है। यह पत्नि को प्रदत्त व्यक्तिगत छुट में नहीं आएगा। [जसमीत कौर वि. उत्तराखण्ड राज्य, उच्च न्यायालय नैनीताल, ए.आई.आर. 2017 उत्तराखण्ड 4]

(3) सेवा अभिलेख से संबंधित सूचना धारा 8 के अधीन छूट में नहीं शामिल है। [पी. सुरेश सिंह वि. मणिपुर राज्य, उच्च न्यायालय मणिपुर, ए.आई.आर. 2016

Scanned with CamScanner

(4) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भष्ट्राचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण की केस डायरी तथा अन्वेषण अधिकारी के टीप को व्यक्तिगत सूचना मानते हुए, धारा 8 के अधीन छुट में माना है। [एम.एस. मलिक वि. केन्द्रीय सूचना आयोग, ए.आई.आर. 2011 पी. एण्ड एच. 152]

(5) उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करने वाले व्यक्ति तथा उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करने वाले व्यक्ति का नाम धारा 8 के अन्तर्गत प्रकट नहीं किया जा रहा है। [केरल लोक सेवा आयोग वि. राज्य सूचना आयोग, ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 711]

7. राज्य सरकार के विभाग/कार्यालय जिन्हें अधिनियम के बाहर रखा गया है—

छत्तीसगढ़ की सरकार ने निम्न सूचनाओं को इस नियम की परिधि से बाहर रखा हैं :—

(1) पुलिस अधीक्षकों के अधीन विशेष शाखा,

(2) नक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष आसूचना शाखा,

(3) पुलिस मुख्यालय विशेष शाखा एवं इस शाखा से सीधे मैदानी कार्यालय,

(4) छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (S.A.F.),

(5) सी.आई.डी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ.7-16/2005/1/6, दिनांक 22-10-2005]

8. अभिलेख जिनका प्रकटन विस्तृत लोक हित में नहीं माना गया है—

गोपनीय प्रतिवेदन। तथापि यह अभिलेख की श्रेणी में आता है। किन्तु यह व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है। इसका उजागर करना किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है। शासन का मानना है कि इसको उजागर करने से व्यक्ति की निजता (Privacy) का उल्लंघन होता है इसलिए ऐसी सूचना प्रदाय किया जाना बंधनकारी नहीं हैं।

9. अपील—

(1) प्रथम अपील—यदि अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चयन से संतुष्ट नहीं है तब 30 दिन के भीतर रु. 50/- शुल्क के साथ अपीलीप प्राधिकारी को प्रथम अपील की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

अपील का शुल्क नगद में जमा किया जा सकता है अथवा अपील के ज्ञापन के साथ नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प संलग्न किए जा सकते है। यदि पर्याप्त कारण हो तथा अपीलीय प्राधिकारी को इसका समाधान हो जावें तब 30 दिन के बाद भी अपील ग्राह्य की जा सकती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी विभागीय अधिकारी होता है। [धारा 19(1)]

(2) अगर अपील धारा 11 के अधीन सूचना या प्रकटन न करने के कारण स्थापित हो रही है, तब नियम 19(1) के अनुसार ही, इसमें प्रथम अपील की जा सकेगी। [धारा 19 (3)]

(3) दूसरी अपील—द्वितीय अपील रु 100/- शुल्क के साथ 90 दिवस के अन्दर राज्य सूचना आयोग को की जा सकती है। राज्य सूचना आयोग पर्याप्त कारणों के आधार पर देरी से की गई अपील को भी ग्राह्य कर सकता है। [धारा 19 (3)]

(4) राज्य सूचना आयोग, लोक प्राधिकारी, राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलार्थी को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए अपील प्रस्तुत होने के 30 दिवस के भीतर अपील का निराकरण करेगा। विशेष परिस्थिति में यह विस्तारित अवधि 45 दिवस तक भी हो सकती है। [धारा 19(4)/19(6)]

(5) आयोग का विनिश्चय आबद्धकारी होगा। [धारा 19(7)]

टिप्पणी—(1) राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत द्वितीय अपील के विषय में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य सूचना आयोग प्रस्तुत द्वितीय अपील में वह, उसे प्रदत्त न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है, क्योंकि यह एक न्यायधिकरण है। ऐसे मामले में आयोग का आदेश उच्च न्यायालय की उत्प्रेषण रिट अधिकारिता के अध्यधीन होगा। ऐसे मामले में आयोग को एक पक्षकार बनाना होगा। [पूर्ण प्रज्ञना हाऊस विल्डिंग सोसाईटी वि. कर्नाटक सूचना आयोग, ए.आई.आर. 2007, कर्नाटक 136]

(2) कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अपील संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होगी बल्कि अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत होगी। [मो. वादिश वि. पश्चिम बंगाल राज्य, ए.आई.आर. 2011 एन.ओ.सी. 138 कलकता]

10. शास्ति—

(1) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के

Scanned with CamScanner

बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया गया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह यथास्थिति, ऐसे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। [धारा 20]

टिप्पणी—(1) सूचना आयोग के बार-बार निर्देश एवं स्मरण पत्र जारी करने के बाद भी सूचना का संदाय न किया जाना, शास्ति अधिरोपण के लिए पर्याप्त कारण है। [लक्ष्मीनरायण सिंह वि. विहार राज्य, ए.आई.आर. 2011 पटना 32]

(2) अगर लोक सूचना अधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर ही स्थानान्तरण हो जाता है, तब उसे सूचना न देने के लिए शास्ति से दण्डित नहीं किया जा सकता। [विजय नारायण साव वि. राज्य सूचना आयोग, ए.आई.आर. 2009 एन.ओ.सी. 2085 पटना]

(3) शास्ति अधिरोपण की शर्त—उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यह सूचना की आपूर्ति न होने से क्षति हुई है तब ही शास्ति अधिरोपित की

Scanned with CamScanner

जा सकती है। यदि संबंधित नस्ती (फाइल) के गुम हो जाने के कारण, जिस विषय में पूर्व में ही, एफ.आई.आर. किया जा चुका हो, सूचना नहीं दी जा सकती है, तब भी शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है।

(4) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अधीन अधिरोपित शास्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका संधारण योग्य नहीं है। [ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी वि. उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2016 इलाहाबाद]

11. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—

इस अधिनियम के उपबन्धों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य निधियों में किसी लिखित असंगत उपलब्धों के होते हुए भी, प्रभाव होगा।

[धारा 22]

टिप्पणी—(1) केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, किसी भी तरह सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त सिविल न्यायालयों की शक्तियों को कम नहीं करती। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत की गई कोई कार्यवाही की सिविल न्यायालयों द्वारा समीक्षा (Judicial Review by Civil Courts) नहीं की जा सकती है। [एल्थोस बनाम याकूब, ए.आई.आर. 2009 केरल 104]

टिप्पणी—(2) निर्वाचन नियम के प्रावधानों से संबंधित अभिलेखों पर लोक सूचना अधिकारी का काई अधिकार नहीं है। अतः पंचायती राज अधिनियम के निर्वाचन से उपबधों पर धारा 22 के प्रावधान अभिभावी (Overriding) नहीं है। [पी.डी. एण्ड पी.ओ. वि. राज्य सूचना आयुक्त, ए.आई.आर. 2015 पंजाब एण्ड हरियाणा 191]

–ooo–

Scanned with CamScanner

अध्याय **68**

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011[1]

(Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011)

राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों अथवा अभिकरणों द्वारा नियत समय के भीतर नागरिकों को कतिपय लोक सेवाओं का प्रदाय करने, तथा व्यतिक्रम की दशा में ऐसी सेवाओं के संदाय के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के दायित्वों का निर्धारण करने तथा उससे संशक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना—(1) यह अधिनियम "**छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011**" कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

(4) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन के कार्यों के संबंध में किन्हीं सिविल सेवाओं अथवा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों, स्थानीय निकायों, लोक प्राधिकारियों या अभिकरणों जो शासन के स्वामित्व, नियंत्रण में हैं या सारवान रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, को लागू होगा।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "**अपीलीय प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है, शासन, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारी या अभिकरणों द्वारा, यथास्थिति, अधिसूचित कोई अधिकारी तथा जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति निहित हो;

(ख) "**सक्षम अधिकारी**" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन शासन, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों या अभिकरण द्वारा, यथास्थिति, इस प्रकार अधिसूचित कोई अधिकारी तथा जो लोक सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कारित व्यतिक्रम या विलंब के लिए परिव्यय अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया हो;

---

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12-10-2011 को पृष्ठ 566(1)-(4) में प्रकाशित।

Scanned with CamScanner

(घ) दावों के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की लिखित सूचना दावा निपटान अधिकारी द्वारा दावाकर्ता को डाक द्वारा दी जाएगी।

(ङ) दावा स्वीकृत होने की दशा में दावा निपटान अधिकारी 3 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्ताव भेजेंगे, और प्रस्ताव प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रेखांकित चेक के माध्यम से दावे का भुगतान दावाकर्ता को किया जायेगा। चेक पंजीकृत डाक द्वारा दावाकर्ता के उस पते पर भेजा जायेगा जो उसने आवेदन पत्र में अंकित किया हो।

(च) दावा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य होगा—

(एक) छात्र-छात्रा के नियमित रूप से अध्ययनरत होने के संबंध में महाविद्यालय/विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानपाठक का प्रमाण-पत्र।

(दो) मृत्यु की दशा में प्राधिकृत प्राधिकारी का नियमानुसार मृत्यु प्रमाण-पत्र।

(तीन) मृत्यु न होने की दशा में दुर्घटना की व्याख्या सहित चिकित्सा प्रमाण-पत्र जिसमें चोट की प्रकृति, कारण एवं अशक्तता को में दर्शाया जायें। चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणीकरण आवश्यक है।

(चार) चिकित्सकीय/अस्पतालीय व्यय की प्रतिपूर्ति की स्थिति में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित वाउचर होना आवश्यक है।

9. जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति—छात्र सुरक्षा बीमा योजना की मानीटरिंग के लिए एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति की सदस्यता निम्नानुसार होगी—

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
3.	सहायक आयुक्त, आ.जा.क. विभाग	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

10. नियमों में संशोधन की राज्य सरकार की शक्ति—राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इन नियमों में संशोधन कर सकेगी।

11. नियमों में कठिनाई के निवारण की राज्य सरकार की शक्ति—इन नियमों में किसी कठिनाई के निवारण के लिए राज्य सरकार निर्देश जारी कर सकेगी।

-ooo-

Scanned with CamScanner

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)
(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)
E-Mail- registrarsuap@yahoo.co.in Phone:- 07774-222789, Fax:- 222791

क्रमांक [illegible] /2011 अम्बिकापुर, दिनांक [illegible]/2011

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी हेतु आवेदन—श्री शैलेन्द्र खण्डेलवाल।

संदर्भः— राज्यपाल के अवर सचिव, राजभवन, रायपुर का पत्र क्रमांक 4469/124/सू.अ./स्था./11/ रायपुर दिनांक 12.08.2011 एवं विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक 5956/कु.स./2011 अम्बिकापुर दिनांक 26/08/2011

--0--

संदर्भित पत्र द्वारा आपको यह सूचित किया गया है कि आवेदक श्री शैलेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा वांछित जानकारी उन्हें प्रदान की जावे। आपके द्वारा उक्त जानकारी विश्वविद्यालय को भेजी जा रही है। कृपया पुनः आवेदक श्री शैलेन्द्र खण्डेलवाल को जानकारी प्रदान करें।

संदर्भित पत्र के साथ त्रुटिवश संलग्नक नहीं भेजा गया था। संलग्नक संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव एवं जनसूचना अधिकारी
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 6146 /2011 अम्बिकापुर, दिनांक 9/9/2011

प्रतिलिपि,

1. निजी नस्ती।

कुलसचिव एवं जनसूचना अधिकारी
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

15/9/2011

GOVERNMENT COLLEGE ... Distt. Bilaspur (C.G.)
99
19.9.11

क्रमांक- 1415 / 124 / सू.अ. / स्था. / 11, रायपुर, दिनांक 12 / 08 / 2011

प्रति,

1. जनसूचना अधिकारी,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर ।

2. जनसूचना अधिकारी,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,
रायपुर ।

3. जनसूचना अधिकारी,
पंडित सुन्दरलाल शर्मा(मुक्त)विश्वविद्यालय,
बिलासपुर ।

4. जनसूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी
विश्वविद्यालय, भिलाई ।

5. जनसूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान
विश्वविद्यालय, रायपुर ।

6. जनसूचना अधिकारी,
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय,
खैरागढ़ जिला– राजनांदगांव

7. जनसूचना अधिकारी,
डॉ0 सी0व्ही0रमन विश्वविद्यालय,
करगी रोड़ कोटा जिला– बिलासपुर

8. जनसूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे
पत्रकारिता एवं जनसंचार
विश्वविद्यालय, रायपुर ।

9. जनसूचना अधिकारी,
बस्तर विश्वविद्यालय,
बस्तर परिसर,
शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय परिसर के पास
धरमपुरा जगदलपुर (छ.ग.)

10. जनसूचना अधिकारी,
सरगुजा विश्वविद्यालय,
प्रशासनीक भवन, दर्रीपारा मेंहदी
बंगला हॉस्पीटल रोड़,
अंबिकापुर (छ.ग.)

11. जनसूचना अधिकारी,
मैट्स विश्वविद्यालय,
आरंग हाईवे रोड़, खरोरा ।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी हेतु आवेदन – श्री शैलेन्द्र खंडेलवाल ।

श्री शैलेन्द्र खंडेलवाल, 7 / 9, नेहरू नगर(पूर्व), भिलाई–490020 ने अपने आवेदन दिनांक निरंक (इस सचिवालय में प्राप्ति दिनांक 11.08.2011) में निम्नलिखित जानकारी चाही है :–

(सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर — stamp)

"विश्वविद्यालय के चालू शैक्षणिक सत्र 2011-2012 में किस किस पाठ्यक्रम में कितने-कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है । विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग व संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपी."

चाही गई जानकारी छत्तीसगढ़ के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ महाविद्यालयों से संबंधित है । अतः उक्त आवेदन की छायाप्रति आपके विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी आवेदक को समय–सीमा में उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(i) के अंतर्गत आवेदन आपको हस्तांतरित किया जाता है ।

आवेदक ने नियमानुसार रू.10/– का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प क्रमांक 06 AA 299035 संलग्न प्रेषित किया है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एस.के. चौधरी)
राज्यपाल के अवर सचिव एवं
जनसूचना अधिकारी
राजभवन, रायपुर

पृ0क्रमांक– /124/सू.अ./स्था./11, रायपुर, दिनांक /08/2011

प्रतिलिपि :– श्री शैलेन्द्र खंडेलवाल, 7/9, नेहरू नगर(पूर्व), भिलाई–490020 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

राज्यपाल के अवर सचिव एवं
जनसूचना अधिकारी
राजभवन, रायपुर

Scanned with CamScanner